**<u>न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–चतुर्थ, सहारनपुर</u>**

CNR NO. UPSP040168822026

सरकार बनाम अंकुर

धारा- 4 / 25 आयुध अधिनियम
थाना- जी.आर.पी, जिला- सहारनपुर
मु.अ.स – 36 / 2026

**<u>19.03.2026</u>**

मु.अ.स - 36 / 2026, अन्तर्गत धारा - 4 / 25 आयुध अधिनियम, थाना- जी.आर.पी, जिला - सहारनपुर के अन्तर्गत अभियुक्त **अंकुर** की ओर से जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का स्थायी निवास है। प्रार्थी अपनी जमानत कराना चाहता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जमानती पेश करने को तैयार है। प्रार्थी जेल में है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त दिनांक 16.03.2026 से जिला कारागार में है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध 7 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त **अंकुर** द्वारा **25,000 /- रुपये (पचीस हजार रुपये)** का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र व समान धनराशि का एक <u>विश्वसनीय प्रतिभू</u> दाखिल करने पर अवमुक्त किया जाता है।

(मीनल चावला)
J.O. Code– UP2448
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– चतुर्थ
सहारनपुर

Digitally signed by MEENAL CHAWLA
Date: 2026.03.23 10:54:33 IST
Reason: Meenal Chawala
Location: District and Sessions Court, Saharanpur